

28/7/17

वकील आर्ची स्व आर्ची सवसे उपस्थित। आर्ची के वकील उप
वकील आर्ची के निवेदन किया कि उक्त आर्ची का पत्र प्रकरण के
आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते जो पत्र इसी स्तर पर कार्रवाई
होए की जावे वकील आर्ची स्व आर्ची का निवेदन लम्बेकाल योग्य
होके से लंबेकाल किया जाता है। ऊर्ध्व कार्रवाई आर्ची का पत्र
होए की जाती है। आर्ची का फौज सुअए लेकर नजर से
कर ले। एक्टर दायित्व से।

[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

उक्त आर्ची का
पत्र उपखण्ड में
जोई कार्रवाई
नहीं चाहता है

र. सु. आर्ची

Noted
MS
28/7/17

